HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7908/2025

1. Rajesh Kumar Son of Shri Ramnarayan, Address- Plot No. 60, Chitragupt Nagar 1, Near Imli Wale Phatak, Jaipur-302015 (Rajasthan).
2. Tirupati Art And Framing, Through its Authorized Signatory (Ies) Rajesh Kumar son of Shri Ramnarayan, Address Plot No. 60, Chitragupt Nagar 1, Near Imli Wale Phatak, Jaipur 302015 (Rajasthan).

----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through P.P.
2. Virendra Singh Choudhary Son of Shri Ghanshyam Singh, Aged About 48 Years, Resident of Plot No. 10, Kalyan Colony, Tonk Phatak, Jaipur (Rajasthan).

----Complainant/Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Ruchika Kukreja, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

23/02/2026

1. याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,** विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम संख्या–1, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा मुकदमा नम्बर–**2068/2021** में पारित आलौच्य आदेश दिनांक **04.11.2025**, जिसके माध्यम से याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 348 बी.एन.एस.एस. (311 दण्ड प्रक्रिया संहिता) अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण का कथन है कि प्रस्तुत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2025 को परिवादी से याचीगण–अभियुक्तगण का जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया, उनका कथन है कि अयाची–परिवादी से याचीगण–अभियुक्तगण को प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिलने से, लम्बित प्रकरण में निष्पक्ष विचारण नहीं हो पायेगा, जिससे न्याय का हनन होगा, उनका यह भी कथन है कि याचीगण–अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में जिरह का अवसर दिया जाना न्यायहित में एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है, उनका यह भी कथन है कि न्यायालय यदि चाहे तो इस संदर्भ में युक्तियुक्त कॉस्ट भी अधिरोपित कर सकता है, अतः न्यायहित में अयाची–परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु याचीगण–अभियुक्तगण को एक अवसर प्रदान किया जावे।

3. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचीगण–अभियुक्तगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् जिरह का अवसर समाप्त किया गया है, उक्त आदेश विधि सम्मत है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत याचिका अस्वीकार की जावे।

4. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

5. यद्यपि याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा जो कारण बताये गये हैं, वे पूर्णतया उचित नहीं है, किन्तु न्यायहित में एवं न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु याचीगण–अभियुक्तगण को कॉस्ट पर अयाची–परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः उक्त याचिका 10,000/– रूपये कॉस्ट पर स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2025 अपास्त किया जाकर याचीगण–अभियुक्तगण को अयाची–परिवादी से प्रतिपरीक्षा का एक अवसर दिये जाने का आदेश

दिया जाता है, उपरोक्त कॉस्ट राशि में से 5,000/– रूपये संबंधित न्याय क्षेत्र के विधिक सहायता कोष के समक्ष जमा कराते हुए रसीद विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी एवं शेष 5,000/– रूपये की राशि का डी.डी. परिवादी के नाम बनाकर अथवा परिवादी के नाम से नकद, आज से 10 दिवस के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में जमा करवाने होंगे। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अयाची–परिवादी को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब कर उससे याचीगण–अभियुक्तगण को प्रतिपरीक्षा का एक अवसर प्रदान किया जावे एवं तत्पश्चात् उपरोक्त नकद राशि अथवा डी.डी. को अयाची–परिवादी को भुगतान हेतु सुपुर्द किया जावे।

7. उक्त कोस्ट प्रतिपरीक्षा हेतु तथा इस याचिका के स्वीकार करने हेतु पूर्ववर्ती शर्त होगी।

8. उपरोक्त परिसीमा अवधि में कॉस्ट राशि जमा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

9. उपरोक्तानुसार याचिका स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /22